जीएसटी के फायदे गिनाने में पीछे नहीं रहें मंत्री

कैबिनेट बैठक : सार्वजनिक कार्यक्रमों में मंत्रियों को जीएसटी दरों में कमी का जिक्र करने की सीएम ने दी नसीहत

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 23 फरवरी. प्रदेश के मंत्री अब जीएसटी की दरों में कमी के फायदे गिनाएंगे. अब भी वे किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो फिर वहां भले ही व्यापारी हो गया फिर ग्राहक, सबको बताएंगे कि मोदी सरकार ने जीएसटी की दरों में कमी करके उन्हें कितना बड़ा तोहफा दिया है और इससे प्रदेश और देश के आम लोगों को कितनी बचत होगी.

इतना ही नहीं वे स्वदेशी का मंत्री भी देंगे. बताएंगे कि स्वदेशी सामान खरीदने का कितना महत्व है, इससे आसपास के व्यापारियों के साथ ही उनके गांव और कस्बे की आर्थिक सेहत भी बेहतर होगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में अनौपचारिक कैबिनेट के दौरान इस संबंध में मंत्रियों को नसीहत दी है. इस दौरान भारत सरकार द्वारा संपदा 2 के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने पर उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कैबिनेट की बैठक से पहले पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई दी अभिवादन किया. जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा सहित सभी मंत्रीगण ने बधाई दी.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कैबिनेट की बैठक में पहले अपने संबोधन में कहा कि संपदा-2 से पेपरलेस-फेसलेस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश, देश में अग्रणी बना है. मप्र, ई-पंजीयन व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य है. यह प्रणाली नागरिकों को बिना कार्यालय आए, सुरक्षित और सरल पंजीयन की सुविधा देती है. मप्र ने डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है.

सीएम आज धान के लिये प्रति हेक्टेयर 4 हजार रुपये का बोनस देंगे

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के धान उपार्जित करने वाले किसानों को बालाघाट जिले के तहसील मुख्यालय कटंगी से बड़ी सौगात देंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा समर्थन मूल्य पर धान उपार्जित करने वाले किसानों के लिये प्रति हेक्टेयर 4 हजार रुपये बोनस देने की घोषणा की गई थी. इस घोषणा को अमल में लाने के लिये बालाघाट जिले के तहसील मुख्यालय कटंगी में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों को बोनस वितरण के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम बुधवार 24 सितम्बर को होगा. कृषि उपज मंडी प्रांगण में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले 6 लाख 69 हजार धान उत्पादक किसानों को 337 करोड़ 12 लाख रुपये की बोनस राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खातों में अंतरित करेंगे.

नवरात्रि में जबलपुर के लिए यातायात प्रबंधन की मांग

विशेष संवाददाता

जबलपुर 23 सितंबर. नवरात्रि पर्व नजदीक आते ही जबलपुर शहर में यातायात अव्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं की बाधा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

हर वर्ष सराफा, गढ़ा फाटक स्थित बड़ी महाकाली, आगा चौक मां काली और कचपुरा के नीचे एमआर-4 रोड स्थित मां काली जैसे प्रमुख पंडाल क्षेत्रों में भारी भीड़ के कारण ट्रैफिक जाम लग जाता है. इससे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी सेवाएँ प्रभावित होती हैं और नागरिकों की जान-माल को खतरा उत्पन्न होता है. एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता विराज यादव ने इस समस्या को लेकर जिला प्रशासन को पत्र लिखकर त्वरित कदम उठाने की मांग की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि नवरात्रि के दौरान इन क्षेत्रों में ट्रैफिक डायवर्जन, नो-पार्किंग जोन और आपातकालीन कॉरिडोर अनिवार्य रूप से लागू किए जाएं.

एक नजर में

सतपुड़ा ताप विद्युत गृह ने रचा नया कीर्तिमान

जबलपुर. मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी (एसटीपीएस) की 250 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट नंबर 10 ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए 200 दिन तक सतत और निर्बाध विद्युत उत्पादन कर नया कीर्तिमान बनाया है. यह यूनिट इस वर्ष 5 मार्च से लगातार बिजली उत्पादन कर रही है. प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई और कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह ने यूनिट नंबर 10 की टीम को इस गौरवशाली उपलब्धि के लिए बधाई दी.

कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग से अफरा-तफरी

मुरैना. मध्यप्रदेश के मुरैना जिला मुख्यालय स्थित जीवाजीगंज क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक कोचिंग सेंटर के बाहर कुछ मनचले युवकों द्वारा की गई फायरिंग से अचानक अफरातफरी मच गई. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस सूत्रों के अनुसार जीवाजीगंज में सबसे अधिक कोचिंग सेंटर संचालित होते हैं. यहां आए दिन छात्राओं से छेड़छाड़ और विवाद की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिससे अभिभावक चिंतित रहते हैं. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही गश्त बढ़ाई थी, लेकिन घटनाओं में कमी नहीं आ पाई. आज सुबह कोचिंग छूटने के समय बदमाशों ने एक सेंटर के बाहर अचानक फायरिंग कर दी और भाग निकले.

जेके सीमेंट प्लांट में हादसा, 1 मजदूर की मौत

पन्ना. पन्ना जिले में स्थित जेके सीमेंट प्लांट में आज हुए एक दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई. प्लांट प्रबंधन ने हादसे की पुष्टि की है. बताया गया है कि निर्माणाधीन सेकंड यूनिट से गिरकर कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई. निर्माण कार्य में लगा मृतक पंजाब का रहने वाला है, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की. हालांकि प्रबंधन मामले को शांत कराने में जुटा हुआ है. सिमरिया थाना क्षेत्र में स्थित जेके सीमेंट प्लांट के जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि मधुमक्खी के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है. मृतक मजदूर हाजी बाबा कंस्ट्रक्शन का कर्मचारी बताया जा रहा है.

कार्रवाई नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार

गुना में कस्टडी में हुई मौत का मामला

गुना 23 सितंबर. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है. देवा पारदी की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में सुनवाई हुई. साथ ही चार्जशीट के जरूरी दस्तावेज सबमिट न करने पर भी नाराजगी भी जाहिर की है. जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा- यह ऐसे नहीं चल सकता.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं. फिर क्या फायदा? आप लाचारी का बहाना बना रहे हैं. वह फरार हैं, मुनादी हो चुकी है, हम उसका पता नहीं लगा सकते. कृपया लाचारी का बहाना न बनाएं. हम तो बस यही कहेंगे कि आपकी लाचारी सुरक्षा की आड़ में लग रही है.

सुनवाई के दौरान, बेंच सीबीआई पर दबाव डालती रही कि दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया. जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी की- फरार होने का मतलब है सुरक्षा. यही मतलब आप कहना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा, सीबीआई दूसरे मामलों में कुछ ही सेकेंड या मिनटों में छापा मारकर गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अपने ही लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाती.

मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में मानसून वापसी शुरू

भोपाल, 23 सितम्बर. सितम्बर के अंतिम सप्ताह में भी मौसम का रुख बदलता दिखाई दे रहा है. जहाँ एक ओर दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

वहीं बंगाल की खाड़ी में सक्रिय तंत्र के कारण मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदेश में 27 सितम्बर तक रुक-रुककर वर्षा का दौर चलता रहेगा. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून की वापसी रेखा 32ए उत्तर/74ए पूर्व तरनतारन, संगरूर, जींद, रेवाड़ी, टोंक, महेसाणा, पोरबंदर से होकर 21ए उत्तर/68ए पूर्व तक पहुँच चुकी है.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 25 सितम्बर को खाड़ी में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बन सकता है, जो 26-27 सितम्बर तक अवदाब का रूप लेकर ओडिशा-आंध्र तट से टकराएगा. इसका असर मध्यप्रदेश के मौसम पर भी दिखाई देगा.

मानसून की वापसी के हालात बन रहे...

अगले 24 घंटों में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों से मानसून की वापसी के हालात बन रहे हैं. इस बीच बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र और उससे जुड़े चक्रवातीय परिसंचरण से मध्यप्रदेश में वर्षा की गतिविधियाँ बनी रहेंगी. विभाग ने पूर्वी अंचल (रीवा, शहडोल, जबलपुर, सिंगरौली, कटनी, बालाघाट आदि), उत्तर व पश्चिम मध्यप्रदेश (ग्वालियर, दतिया, गुना, शिवपुरी, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ आदि), मालवा-निमाड़ व भोपाल-इंदौर संभाग (भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, मंदसौर, खंडवा, खरगोन, हरदा, बैतूल आदि) तथा जनजातीय जिलों (बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर) में हल्की से मध्यम वर्षा और कहीं-कहीं तेज बौछारों की संभावना जताई है.

सीएम से मिलन के लिए विधायकों की लगी कतार

मंत्रालय में पहली बार 40 से अधिक विधायकों की आमद

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 23 सितंबर. मंत्रालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में बेहद गहमागहमी का नजारा देखने मिला.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलने के लिये विधायकों की कतार लगी रही. ऐसा पहली बार होगा, जब सीएम से मिलने के लिये 40 से अधिक विधायकों और पूर्व विधायकों ने मंत्रालय में आमद दर्ज कराई. कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में सीसीआईपी की एक जरुरी बैठक की. इस बैठक में हिस्सा लेने के लिये भी कुछ विधायकों को बुलाया गया था. उसके बाद मुख्यमंत्री ने दो घंटे से भी अधिक समय तक विधायकों और पूर्व विधायकों से मुलाकात की. विधायकों ने ज्यादातर अपने क्षेत्र से जुड़े विषयों को मुख्यमंत्री के सामने रखा. विधायकों की इस मुलाकात का महत्व इसलिये भी है क्योंकि प्रदेश में अब निगम-मंडलों और प्राधिकरणों में नियुक्ति का दौर शुरू होने वाला है. वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें भी चल रही है. ऐसे में मुख्यमंत्री से मिलकर विधायक अपने लिये नई जमावट का रास्ता भी तलाश रहे हैं.

विधायकों से मिलना सीएम के लिए सामान्य बात

दिल्ली हाईकमान से अनुमति ली जायेगी, लेकिन उसके बाद भी विधायक अब मुख्यमंत्री से अपनी नजदीकी दिखाकर राजनीतिक फायदा या बढ़त लेने के लिये कोशिशों में लग गये हैं. इसलिये ही नवरात्रि पर्व के बीच बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री से मिलने के लिये विधायक मंत्रालय पहुंचें. वैसे विधायकों से मिलना मुख्यमंत्री के लिये सामान्य बात है, लेकिन इतनी अधिक संख्या में विधायकों के पहुंचने से मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी भी आश्चर्यचकित दिखे.

छात्रावास के उन्नयन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश

100 सीटर छात्रावास का कराया जाएगा निर्माण

भोपाल 23 सितम्बर. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा में संचालित 50 सीटर पिछड़ावर्ग बालक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास को 100 सीटर नया छात्रावास निर्माण करने हेतु प्राकलन तैयार कर प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिये हैं.

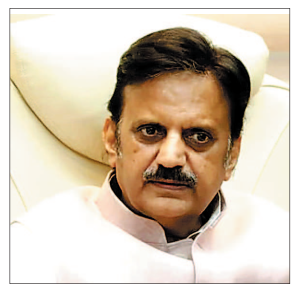

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछड़े वर्ग के छात्रों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए 50 सीटर छात्रावास को 100 सीटर कराया जायेगा तथा द्वितीय चरण में जमीन की तलाश कर 100 सीटर छात्रावास का भी निर्माण कराया जायेगा. उन्होंने कहा कि जब तक नया छात्रावास नहीं बन जाता तब तक किराये के भवन में छात्रावास संचालित कराया जाय. नवीन सर्किट हाउस रीवा में आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रतहरा में पूर्व के निर्मित 50 सीटर छात्रावास की स्थित ठीक नहीं है इसकी मरम्मत की जगह उसी स्थान पर नवीन छात्रावास का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा. आयुक्त रीवा संभाग बीएस जामोद, कलेक्टर प्रतिभा पाल आयुक्त नगर निगम डॉ. सौरभ सोनवणे सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.

Dhanvarsha™

ट्रूकैप फाइनेंस लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना

ग्राहकों एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि ट्रूकैप फाइनेंस लिमिटेड, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के साथ पंजीकृत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय चतुर्थ तल, ए विंग, डीजे हाउस, ओल्ड नगरदास रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400069 ('कंपनी') में स्थित है, अपनी शाखा, जो प्रथम तल, 28, अक्षय मार्केट, ब्लॉक संख्या 17, प्लॉट संख्या 67, टाउन हॉल, नगर निगम कार्यालय के पीछे, खंडवा - 450001 ('शाखा') स्थित है, को बंद कर रही है. यह भी सूचित किया जाता है कि इस प्रकाशन की तिथि तक इस शाखा द्वारा दी गई संपूर्ण ऋण पुस्तिका का बकाया शून्य है और इस शाखा से कोई नया व्यवसाय संचालित नहीं किया जा रहा है या ग्राहकों को कोई सेवा प्रदान नहीं की जा रही है. तदनुसार, शाखा 30 सितंबर 2025 से बंद हो रही है. जिन ग्राहकों या व्यक्तियों को कंपनी से कोई चिंता है या स्पष्टीकरण चाहिए, वे contact@trucapfinance.com पर ई-मेल भेजकर या 1800 210 2100 पर कॉल करके कंपनी से संपर्क कर सकते हैं.

सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे इस पर ध्यान दें.

ट्रूकैप फाइनेंस लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षरित/-
दिनांक : 24 सितंबर 2025 **अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**

पंजाब को मिला रेल कनेक्टिविटी का बड़ा तोहफ़ा

486 किमी की दूरी 6 घंटे 40 मिनट में तय करेगी.

भोपाल, 23 सितम्बर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पंजाब को रेल क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिली है. लंबे समय से प्रतीक्षित राजपुरा-मोहाली नई रेल लाइन को मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इसकी घोषणा की.

18 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 443 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इससे लुधियाना से चंडीगढ़ की दूरी लगभग 66 किलोमीटर कम हो जाएगी. अब मालवा क्षेत्र के 13 जिले सीधे राज्य की राजधानी से जुड़ेंगे. इससे अंबाला मार्ग पर दबाव घटेगा और कृषि भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता भी न्यूनतम रहेगी. रेलवे का कहना है कि नई लाइन से कपड़ा, विनिर्माण और कृषि क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा. कृषि उपज की तेज़ आवाजाही, उद्योगों की लागत में कमी और धार्मिक पर्यटन स्थलों तक पहुँच आसान होगी.

2,000 विशेष ट्रेनें चलेंगी; रिकॉर्ड निवेश जारी

एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस फिरोजपुर कैंट से दिल्ली के बीच भटिंडा और पटियाला होकर चलाई जाएगी. यह सप्ताह में छह दिन चलेगी और 486 किमी की दूरी 6 घंटे 40 मिनट में तय करेगी. सीमावर्ती जिलों को सीधे राजधानी से जोड़ने वाली यह सेवा पंजाब के यात्रियों को बड़ी सुविधा देगी. रेल मंत्री ने बताया कि पंजाब में रेलवे निवेश 2009-14 के औसत 225 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 5,421 करोड़ रुपये सालाना हो गया है. राज्य में 382 किमी नई पटरी, 1,634 किमी विद्युतीकरण और 409 फ्लाईओवर /अंडरपास का निर्माण हुआ है.

दो विधवाओं ने राज्यपाल से मांगी इच्छामृत्यु

ग्वालियर 23 सितंबर. दो विधवा महिलाओं ने मंगलवार को कलेक्टर को राज्यपाल के नाम आवेदन सौंप परिवार सहित इच्छा मृत्यु की मांग की. दोनों महिलाएं पूनम भदौरिया व सुरुचि भदौरिया ने कहा कि वे बैंक द्वारा लगातार परेशान किए जाने से आहत हैं.

महिलाओं का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर में उन्होंने अपने पतियों को खो दिया. उसके बाद परिवार पर आर्थिक संकट मंडराने लगा. इसी बीच फैक्ट्री में आग लग गई और सब कुछ नष्ट हो गया. बच्चों के पालन पोषण तक के लिए अन्य परिजन पर निर्भर हैं. इसके बाद भी बैंक कर्मचारी रिजर्व बैंक की गाइड लाइन के तहत 50 से 60 प्रतिशत में लोन सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं बल्कि फैक्ट्री को एनपीए कर दिया है. इसके बाद भी लाखों रुपए का कर्ज बिना वजह हमारे ऊपर निकाला जा रहा है, जबकि इन दोनों बैंक ने बिना इंश्योरेंस के लोन मंजूर कैसे किया.

नवरात्रि में जबलपुर के लिए यातायात प्रबंधन की मांग

विशेष संवाददाता

जबलपुर 23 सितंबर. नवरात्रि पर्व नजदीक आते ही जबलपुर शहर में यातायात अव्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं की बाधा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

हर वर्ष सराफा, गढ़ा फाटक स्थित बड़ी महाकाली, आगा चौक मां काली और कचपुरा के नीचे एमआर-4 रोड स्थित मां काली जैसे प्रमुख पंडाल क्षेत्रों में भारी भीड़ के कारण ट्रैफिक जाम लग जाता है. इससे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी सेवाएँ प्रभावित होती हैं और नागरिकों की जान-माल को खतरा उत्पन्न होता है. एनएसयूआई के

राष्ट्रीय प्रवक्ता विराज यादव ने इस समस्या को लेकर जिला प्रशासन को पत्र लिखकर त्वरित कदम उठाने की मांग की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि नवरात्रि के दौरान इन क्षेत्रों में ट्रैफिक डायवर्जन, नो-पार्किंग जोन और आपातकालीन कॉरिडोर अनिवार्य रूप से लागू किए जाएं.

फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : तीसरी मंजिल, वालेस टॉवर 139-140/बी/1, सहार रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे विले पार्ले (पूर्व) मुंबई - 400 057. **टेलीफोन :** 022-6849 2450, **फैक्स :** 022-6741 2313
सीआईएन : U67190MH2007PTC168303 **ई-मेल :** info@phoenixarc.co.in, **वेबसाइट :** www.phoenixarc.co.in.

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एस्पायर होम फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड - असाइनर के नाम से जाना जाता था) द्वारा ऋण के असाइनमेंट के अनुसार फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड को गिरवी रखी गई नीचे उल्लिखित सम्पत्ति को 'जैसी है, जैसी है और बिना किसी सहारे के' 'ऑनलाइन ई-नीलामी' के माध्यम से बेचा जाएगा, ताकि बकाया राशि और आगे के ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली की जा सके, जैसा कि नियम 8 और 9 के साथ पढ़े गए SARFAESI अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीचे विस्तार से बताया गया है. प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002) के अनुसार वेबसाइट www.phoeni&arc.co.in/ के माध्यम से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार

नीलामी की तिथि और समय : 16-10-2025/11.00 पूर्वाह्न से 02.00 अपराह्न (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

क्र.	उधारकर्ता/गारंटर/ऋण खाता	मांग नोटिस तिथि और राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य, ईएमडी और ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि
1.	**लैन:** LXDEW00217-180065482 **शाखा :** देवास **उधारकर्ता :** मेहरबान पर्वत सिंह **सह-उधारकर्ता :** रीनाकुंवर मेहरबान सिंह	22-02-2021 रु. 3,01,689/- (रुपए तीन लाख एक हजार छह सौ नवासी मात्र	पीएच नंबर 34/74, एस नंबर 189/2/1, ग्राम ताजपुर, महिदपुर, उज्जैन, मध्य प्रदेश - 456443	**आरक्षित मूल्य :** रु. 4,00,000/- (रुपए चार लाख मात्र) **अग्रिम जमा :** रु. 40,000/- (रुए चालीस हज़ार मात्र) **अग्रिम जमा की अंतिम तिथि :** 15-10-2025
2.	**लैन:** LXDEW00416-170028735 **शाखा :** देवास **उधारकर्ता :** कमल नाथ काशीनाथु योगी **सह-उधारकर्ता :** अन्नपूर्णा बाई कमलनाथ योगी	26-08-2019 रु. 4,62,360/- (रुपए चार लाख बांसठ हजार तीन सौ साठ मात्र)	प्लॉट नंबर 11-ए, ग्राम अकोदिया, सारंगपुर रोड, शाजापुर मध्य प्रदेश - 465337	**आरक्षित मूल्य :** रु.450,000/- (रु. चार लाख पचास हज़ार मात्र) **अग्रिम जमा :** रु.45,000/- (रु. पैंतालीस हज़ार मात्र) **अग्रिम जमा की अंतिम तिथि :** 15-10-2025
3.	**लैन:** LXIND00116-170048954 **शाखा :** इंदौर **उधारकर्ता :** विपिन कुमार मिश्रा **सह-उधारकर्ता :** कुसुमलता मिश्रा	24-06-2019 रु. 1,352,496/- (रु. तेरह लाख बावन हजार चार सौ छियानवे मात्र)	प्लॉट नंबर 1, केलोद करताल टपल घाटी, खंडवा रोड, ताह और जिला-इंदौर, मध्य प्रदेश - 452001	**आरक्षित मूल्य :** रु.10,00,000/- (रुपए दस लाख मात्र) **अग्रिम जमा :** रु.100,000/- (रुपए एक लाख मात्र) **अग्रिम जमा की अंतिम तिथि :** 15-10-2025

ई-नीलामी के नियम और शर्तें- 1. नीलामी बोली दस्तावेज के आगे के नियमों और शर्तों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाती है. बोलीदाता बोली लगाने की जानकारी और सहायता, ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति का विवरण और बोली फॉर्म जो ऑनलाइन जमा किया जाएगा, के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, M/S ARCA EMART PRIVATE LIMITED के वेब पोर्टल: https://www.auctionbazaar.com/ पर जा सकते हैं. इच्छुक खरीदार उसी पोर्टल पर नीलामी के नियम और शर्तों और प्रक्रिया को देख सकते हैं और **तरुण रघुवंशी 9329414448** और **विजय सिंह 9372505110, शैलेष आयंगर 9833801159** से संपर्क कर सकते हैं, विवरण ऊपर उल्लिखित वेब पोर्टल में उपलब्ध है और उनके केंद्रीकृत हेल्प डेस्क +91 83709 69696, ई-मेल आईडी contact@auctionbazaar.com से संपर्क कर सकते हैं. 2. सभी इच्छुक क्रेता बोलीदाताओं को ऊपर उल्लिखित पोर्टल https://www.auctionbazaar.com/ पर अपना नाम पंजीकृत करना आवश्यक है और पूर्वोक्त तिथि और समय पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिए मुफ्त में यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा. 3. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं को सुरक्षित संपत्ति के आरक्षित मूल्य के 10% की वापसी योग्य बयाना राशि के भुगतान का विवरण, पैनकार्ड की प्रतियों, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्तावों और पते के प्रमाण के साथ ऊपर उल्लिखित ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले जमा करना होगा, इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं को ऊपर वर्णित प्रत्येक वस्तु/संपत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करना आवश्यक है. 4. नीलामी के किसी भी चरण में, प्राधिकृत अधिकारी बोली/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/रद्द कर सकता है या बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी को स्थगित कर सकता है. 5. सफल खरीदार/बोलीदाता को लागू कानून के अनुसार सुरक्षित संपत्ति को अपने पक्ष में हस्तांतरित/सुपुर्द करने के लिए भुगतान किए जाने वाले किसी भी वैधानिक बकाया, देय कर शुल्क, खरीद विचार पर लागू जीएसटी, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान करना होगा. 6. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई सुरक्षित संपत्तियों को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों, जिसमें वैधानिक बकाया आदि शामिल हैं, के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच कर लेनी चाहिए. नीलामी विज्ञापन फीनिक्स की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही करेगा. फीनिक्स का अधिकृत अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाए के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा. 7. संभावित/इच्छुक बोलीदाता को एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी कि वह दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29 (ए) के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य नहीं है और केवाईसी दस्तावेजों के साथ इस तरह के वचनबद्धता को प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, वह स्वत: ही अयोग्य हो जाएगा या उसकी बोली खारिज कर दी जाएगी.

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 24.9.2025

अनुवाद में त्रुटियां/विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

डिमांड नोटिस

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (उक्त एक्ट) की सेक्शन 13 (2) के तहत जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3 (1) के सहपठित है. उक्त नियमों के नियम 3 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (12) के तहत प्रदान अधिकारों के पालन में आईआईएफएल होम फाइनेंस लि. (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) के प्रा. अधिकारी ने उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (2) के तहत डिमांड नोटिस जारी की है व देनदारों को उन्हें जारी डिमांड नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा है. उक्त से संबंधित, देनदारों को एक बार फिर इस नोटिस प्रकाशन से 60 दिनों में भुगतान तिथि तक डिमांड नोटिस तिथि से आगे ब्याज सहित निम्न कथित राशि का भुगतान करने की नोटिस दी जाती है. देनदारों के वितरण डिमांड नोटिस तिथि पर बकाया राशि व लोन राशि के भुगतान के प्रति प्रस्तुत सिक्योरिटी के विवरण निम्न हैं-

देनदारों/गारंटरों का नाम	डिमांड नोटिस तिथि व राशि	सिक्योर्ड एसेट विवरण (अचल संपत्ति)
श्री लालाराम नायक, श्रीमती लक्ष्मी बाई (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10314072)	12-जून-2025, रु.355154/- (रुपए तीन लाख पचपन हजार एक सौ चौवन मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल- पटवारी हल्का संख्या 25, क्षेत्रफल 900 वर्ग फ़ीट, खसरा संख्या 695 में से, उग्रान, जीरन, नीमच, मध्य प्रदेश 458336, भारत में स्थित। क्षेत्रफल माप (वर्ग फ़ीट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल। संपत्ति का क्षेत्रफल- 900.00, 793.70
श्री अतर सिंह जाधव श्रीमती धवली बाई जाधव लक्ष्मी किराना (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10432402)	18 जुलाई 2025, रु. 223662/- (रु. दो लाख तेईस हजार छह सौ बांसठ मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और टुकड़ा जो- पटवारी हल्का संख्या 32, खसरा संख्या 151/1/1, ग्राम पीपलधार, निवाली, बड़वानी, मध्य प्रदेश, 451666 में स्थित है। क्षेत्रफल माप (वर्ग फ़ीट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल। संपत्ति का क्षेत्रफल- 602.00, 580.00
श्रीमती संगीता श्री लखन संगीता दूध डेयरी (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10454961)	10-जून-2025, रु.403858/- (रुपए चार लाख तीन हजार आठ सौ अट्ठावन मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और टुकड़ा जो- खसरा संख्या 96, पीएच संख्या 43, मुख्य सड़क, स्थित है, हीरापुर, ग्राम-गोगावा, तहसील एवं जिला-खरगौन, मध्य प्रदेश, भारत, पिन संख्या 451228 प्रवेश क्षेत्र (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र, निर्मित_क्षेत्र, संपत्ति का क्षेत्रफल- 900.00, 870.00
श्री करण सिंह श्रीमती रामकुमार बाई (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10548598)	11 जून 2025, रु.337402/- (रुपए तीन लाख सैंतीस हजार चार सौ दो मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और टुकड़ा जो इस प्रकार है- पी.एच.एन. 37, वार्ड संख्या 01, खसरा संख्या 573, मकान संख्या 15, ग्राम बागोदा, तराना, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत, 456665 में स्थित। प्रवेश क्षेत्र (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र, निर्मित_क्षेत्र, संपत्ति का क्षेत्रफल- 1680.00, 1090.00
श्री मेहरवान सिंह श्रीमती संतोष बाई (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10633772)	23 जून 2025, रु. 566352/- (रुपये पांच लाख छियासठ हजार तीन सौ बावन मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और टुकड़ा जो इस प्रकार है- पटवारी हल्का संख्या 30 (वर्तमान गाइड लाइन के अनुसार पटवारी हल्का संख्या 72), मकान संख्या 07, वार्ड क्रमांक 07, खसरा क्रमांक 68, गाँव काजीखेड़ी, ग्राम पंचायत काजीखेड़ी, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456443, भारत प्रवेश क्षेत्र (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल- 3000.00, 1400.00
श्री अर्जुन कीर श्री सूरज सिंह कीर श्रीमती सोरम बाई कीर (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10645365)	20 जून 2025, रु.316614/- (रुपए तीन लाख सोलह हजार छह सौ चौदह मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और टुकड़ा जो इस प्रकार है- पटवारी हल्का क्रमांक 67, वार्ड क्रमांक 20, मकान क्रमांक 103, खसरा क्रमांक 342, गाँव सकतली, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, मध्य प्रदेश, 455118, भारत प्रवेश क्षेत्र (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल- 392.00, 364.00
श्री राजेश सुश्री राजू बाई (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10733354)	12 जून 2025, रु.507091/- (रुपए पांच लाख सात हजार इंक्यानवे मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जो इस प्रकार है- पटवारी हल्का क्रमांक 57, खसरा संख्या 248, प्लॉट संख्या 298, गाँव नाहरखेड़ी, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत, 456668 में स्थित। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, कार्पेट क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल- 1600.00, 781.00
श्री कालू सिंह श्रीमती बादामी बाई (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10723683)	12 जून 2025, रु.491953/- (रुपए चार लाख इंक्यानवे हजार नौ सौ तिरेपन मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और टुकड़ा जो इस प्रकार है- पटवारी हल्का संख्या 88, खसरा संख्या 151/1, मकान संख्या 15, ढाबालावेनी, महिदपुर, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत, 456443 में स्थित। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, कार्पेट क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल- 1260.00, 1100.00
श्री मुकेश कुमारी रेखाबाई (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10805230)	13 जून 2025, रु.356081/- (रुपए तीन लाख छप्पन हज़ार इक्यासी मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और टुकड़ा जो इस प्रकार है- पीएच 57, सर्वे संख्या 248, भूखंड 511, क्षेत्रफल 750 वर्ग फुट, ग्राम नाहरखेड़ी, तराना, उज्जैन, मध्य प्रदेश-456668 - भारत में स्थित। प्रवेश क्षेत्र (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र, कालीन_क्षेत्र। संपत्ति का क्षेत्रफल- 750.00, 581.00

यदि उक्त देनदार आईआईएफएफ एचएफएल को उक्त भुगतान नहीं करते हैं तो वह देनदारों के पूरी तरह से जोखिम, लागत व नतीजों पर उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) व लागू नियमों के तहत उक्त सिक्योर्ड एसेट के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं. विवरण हेतु संपर्क प्रा. अधिकारी, ब्रांच आफिस - 102/103, दर्शन मॉल, 15/2, रेस कोर्स रोड इन्दौर-452001 मध्यप्रदेश/ या कार्पोरेट ऑफिस : आईआईएफएल टॉवर, प्लाट नं. 98, उद्योग विहार, फेस- IV गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान : उज्जैन/इन्दौर **प्रा. अधिकारी**
दिनांक : 24.9.2025 **कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लि.**